

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

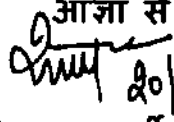
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ७८५ / 2021 दिनांक २२.03.2021

डॉ. ऋचा चायल (RJ0929), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर हाल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरवाड़ा (उदयपुर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 04.03.2021 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 05.03.2021 से 06.03.2021 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश।
दिनांक 07.03.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।

डॉ. चायल की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-01, जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

20/3/2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/99/2015/ 1891

दिनांक : 22.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 1738 दिनांक 09.03.2021 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. ऋचा चायल (RJ0929), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरवाड़ा (उदयपुर) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर ।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 01, जोधपुर महानगर ।


20.3.2021
सहायक रजिस्ट्रार